रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2006/आषाढ़ 21, 1928
No. 311] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2006/ASADHA 21, 1928

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2006

सा.का.नि. 416(अ):–केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) के खण्ड 24 के उप-खण्ड (3) के अनुच्छेद (क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संख्या आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) अभिप्रेत है।

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अभिप्रेत है।

(घ) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(ङ) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. **वेतन और भत्ते**:—(1) उप-नियम (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार छब्बीस हजार रुपये प्रतिमाह वेतन और मंहगाई वेतन और भत्ते में से सेवानिवृत्ति फायदे के समतुल्य पेंशन को कम करके, संदाय किया जाएगा। वे भारत सरकार के सचिव को यथा अनुज्ञेय मकान किराए भत्ते, यात्रा भत्ते और टेलीफोन सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन या अर्ध सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या अन्य स्वायत्त या कानूनी निकाय से सेवानिवृत्त व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करने के मामले में वेतन वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के समतुल्य पेंशन को कम करके मंहगाई वेतन तथा भत्तों को मिलाकर भी छब्बीस हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक संदेय नहीं होगा।

(2) यदि इस आयोग में नियुक्ति के समय कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य प्रशासन की सेवा में है तो उसे यथास्थिति केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन उस पर लागू नियमों के अनुसार अधिवर्षिता की आयु तक अपना वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त होगा और उसके बाद इन नियमों के उपबंध लागू होंगे।

(3) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होंगे।

(4) यदि कोई सदस्य पहले ही सरकारी वास-सुविधा में हो तो उसे उसी वास-सुविधा को रखने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। आयोग में कार्यभार ग्रहण करने और कार्यभार से मुक्त होते समय कोई यात्रा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

**4. छुट्टी**:-(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित छुट्टी लेने के हकदार होंगे:—

(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन तदर्थ सरकारी कर्मचारी को यथा-अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी।

(2) जब अध्यक्ष या सदस्य इस आयोग में अपनी नियुक्ति से पहले अपनी सेवा को शासित करने वाले निबंधन और शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए विहित सामान्य आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है तो वह सेवानिवृत्ति की तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी यदि कोई हो, के लिए छुट्टी वेतन के बराबर राशि प्राप्त करने का हकदार होगा और इसकी अधिकतम सीमा 300 दिन होगी। सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य के पुनर्नियोजन की स्थिति में, पुनर्नियोजन के समाप्त होने पर वह सेवानिवृत्त होने की तारीख तक उसके खाते में जमा 300 दिनों की अधिकतम अवधि, जिसमें पूर्व सेवानिवृत्ति के समय उसको अनुज्ञात की गई नकदीकरण की अवधि भी सम्मिलित है, के बराबर नकद प्राप्त करने का हकदार है।

टिप्पण : अर्जित छुट्टी के बराबर नकद की गणना केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम, 1972 के अनुसार की जाएगी।

5. **छुट्टी संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी** :—सदस्यों को छुट्टी संस्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होंगे और सदस्यों को छुट्टी संस्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार होगी ।

6 **आयोग में नियुक्ति होने पर मूल सेवा में सेवानिवृत्ति** :—कोई अध्यक्ष या सदस्य जो, आयोग में नियुक्त होने की तारीख को, केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन में सेवारत थे, को आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने की तारीख से ही ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

7. **पेंशन** :—(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो आयोग में ऐसी नियुक्ति के समय, केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी संघ शासित प्रदेश प्रशासन में सेवारत था, नियम 6 पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग में उसकी नियुक्ति की तारीख से छ: महीने के भीतर या उसकी अधिवार्षिकी से पूर्व जो भी पहले हो, उसके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुरूप यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने की तारीख से उनकी पूर्व सेवा पर लागू नियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने तथा अन्य सेवानिवृत्ति फायदों का हकदार होगा।

(2) यदि कोई अध्यक्ष या सदस्य, जो ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश प्रशासन में सेवारत था, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले जिस सेवा में थे, उस पर लागू नियमों के अधीन पेंशन तथा सेवानिवृत्ति फायदों के लिए सदस्य के रूप में अपनी सेवा अवधि की गणना कर सकते हैं ।

8. **भविष्य निधि**:-(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो इस आयोग में ऐसी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ शासित प्रदेश प्रशासन में सेवारत थे और जो सामान्य भविष्य निधि के फायदों के लिए अनुज्ञात थे, अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए उस सेवा पर उसको लागू नियमों के अनुसार उस तारीख तक जिस तक वह सेवानिवृत्त नहीं होता, उस निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा। अंशदायी भविष्य निधि के मामले में इस निधि के लिए संदेय नियोक्ता का अंशदान उन उपलब्धियों के आधार पर जो अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले धारित पद पर प्राप्त कर रहे होते, आयोग द्वारा ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की अवधि के दौरान उनकी नियुक्ति की तारीख से संदेय होगा।

**स्पष्टीकरण** : अध्यक्ष या कोई सदस्य इस उप-नियम के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए अपनी नियुक्ति से छ: माह के भीतर लिखित में अपना विकल्प संसूचित करेंगे और इस प्रकार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिनमें वे व्यक्ति जिन्होंने नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन या नियम 8 के उप-नियम (1) अधीन या दोनों के अधीन विकल्प चुना हो सम्मिलित हैं, अंशदायी भविष्य निधि स्कीम के फायदे प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे और इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर यथासंशोधित अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु इन नियमों के अधीन अंशदायी भविष्य निधि स्कीम में प्रवेश की तारीख से अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी अन्य भविष्य निधि में अंशदान करने पर परिविरत हो जाएंगे।

9. **अध्यक्ष/विशेष स्तर प्राप्त सदस्यों की सेवा शर्तें** :-इन नियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे, तो आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उन्हें प्रदत्त किसी विशेष स्तर के अनुसार वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाओं की मंजूरी दे सकेगी।

10. **दौरे पर यात्रा** :-(1) कोई अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आदि के लिए हकदार होने के संबंध में वह भारत संघ के राज्य मंत्री पर लागू होने वाले प्रावधानों के द्वारा शासित होगा।

(2) कोई भी सदस्य, दौरे पर रहने के दौरान केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के समतुल्य वेतनमान के अधिकारी को लागू होने वाली समान वेतनमान और समान दर पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) अध्यक्ष और सदस्य यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के बिलों के संबंध में स्वयं नियंत्रक अधिकारी होंगे।

11. **वास-सुविधा** :-(1) आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दर पर लाइसेंस फीस के आधार पर केन्द्रीय सरकार के सरकारी आवास का उपयोग करने का हकदार होगा जो कि वास संबंधी मंत्रीमण्डल समिति द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।

(2) अध्यक्ष, जो कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, भारत संघ के राज्य मंत्री पर लागू समान निबंधनों और शर्तों पर केन्द्रीय सरकार के सरकारी वास के उपयोग करने का हकदार होगा।

(3) जहां पर केन्द्रीय सरकार की वासीय सुविधा उपलब्ध न हो, वहां अध्यक्ष या सदस्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे किराये की अधिकतम सीमा के अधीन वासीय सुविधा लीज के आधार पर किराए पर ली जा सकेगी।

(4) यदि उप-नियमों (1) और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट वासीय सुविधा के अनुसार अध्यक्ष या सदस्य को वासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती या वह इस सुविधा का उपयोग नहीं करता तो उस स्थिति में वह केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतनमान वाले अधिकारी को समय-समय पर अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता प्रति मास संदाय किए जाने का हकदार होगा।

(5) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि के पश्चात् भी किसी सरकारी वास का अधिभोग करता है तो वह वास के आवंटन के संबंध मे केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन अतिरिक्त लाईसेंस फीस या अन्य प्रभार के संदाय का दायी होगा और इसके अतिरिक्त वह उन नियमों के अनुसार बेदखल किए जाने के लिए दायी होगा, जो केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतनमान वाले अधिकारी पर लागू होते हैं।

12. **प्रवहण सुविधा** :-(1) अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश था, उन समान निबंधनों और शर्तों पर स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा जो भारत संघ के राज्य मंत्री के लिए लागू हैं।

(2) कोई भी सदस्य केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतनमान वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए लागू स्टाफ कार सुविधाओं का उपयोग करने के लिए शासित नियमों के अनुसार सरकारी तथा निजी प्रयोजनों के लिए यात्रा के लिए स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा।

13. **चिकित्सा सुविधा** :-(1) अध्यक्ष, या कोई भी सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नियम, 1954 में यथा-उपबंधित चिकित्सा और अस्पताल सुविधाओं के लिए हकदार होगा।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष यदि चाहे तो भारत संघ के राज्य मंत्री को प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा लेने का हकदार होगा और कोई सदस्य भारत सरकार के सचिव को प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा लेने का हकदार होगा।

14. **अवशिष्ट उपबंध** :-इन नियमों में अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं बनाए गए हैं इसलिए वे भारत सरकार के सचिव पर तत्समय लागू होने वाले नियमों और आदेशों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

[सं. एफ. 7-16/2005-एम. सी. (पी)]

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**

**(Department of Secondary and Higher Education)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2006

**G.S.R. 416(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of Section 24 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement :**—(1) Thses rules may be called the National Commission for Minority Educational Institutions (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions :**— In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) " Act" means the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005);

(b) " Chairperson" means the Chairperson of the Commission ;

(c) " Commission" means of the National Commission for Minority Educational Institutions constituted under Section 3;

(d) "Section" mean a section of the Act;

(e) all other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Salaries and Allowances :**—(1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), the Chairperson and every Member shall be paid a salary of twenty six thousand rupees per month with Dearness Pay and Allowances less the pension equivalent to retirement benefits according to the instructions of the Ministry of Finance. They shall be entitled to house rent allowance, travelling allowance and telephone facilities as admissible to a Secretary to the Government of India: Provided that in the case of appointment as a Chairperson or a Member, who has a retired person from the Central Government or a State Government or Union Territory Administration or a Semi-Government or public sector undertaking or a recognized research institution or other autonomous or statutory body, the salary payable shall not exceed rupees twenty-six thousand per month with dearness pay and allowances less the pension and pension equivalent of retirement benefits according to the instructions of the Ministry of Finance.

(2) If at the time of his appointment to the Commission, a Member is in service of the Central or a State Government. or a Union Territory Administration, he shall have the option to receive his salary upto the age of superannuation in accordance with the rules applicable to him under the Central or State Government or Union Territory Administration, as the case may be, and thereafter, the provisions of these rules shall apply.

(3) The Chairperson, Members and Staff of the Commission shall be the public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.

(4) In case any Member is already occupying Government accommodation, he is allowed to retain the same. No travelling allowance shall be provided at the time of joining the Commission and on relinquishing of charge.

4. **Leave :**—(1) The Chairperson and every Member shall be entitled to leave as follows :

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972; and

(b) extraordinary leave, as admissible to the temporary Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(2) Where a Chairperson or Member retires on attaining the normal age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service before his appointment to the Commission, he shall be entitled to cash equivalent of leave salary for earned leave, if any, at his credit on the date of retirement, upto a maximum period of 300 days. In case of a Chairperson or Member who is re-employed after retirement, he shall on termination of his re-employment be entitled to cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of retirement of re-employment upto a maximum period of 300 days, including the period for which encashment was allowed to him at the time of earlier retirement.

Note : Cash equivalent of earned leave shall be computed in accordance with the provisions of Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

5. **Leave Sanctioning Authority :**—The Chairperson shall be the authority competent to sanction leave to the Members and the Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

6. **Retirement from parent service on appointment in Commission :**—The Chairperson or a Member who, on the date of his appointment to the Commission, was in the service of the Central or a State Government or a Union Territory. Administration, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as the Chairperson or a Member of the Commission.

7. **Pension :**—(1) The Chairperson or a Member, who at the time of his appointment as such, was in the service of the Central or a State Government or a Union Territory Administration shall, without prejudice to Rule 6, at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment in the Commission or on or before the date of his superannuation, whichever is earlier, be entitled to draw his pension and other retirement benefits as per the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Chairperson or Member, as the case may be.

(2) If a Chairperson or Member, who at the time of his appointment as such was in the service of the Central or a State Government or a Union Territory Administration does not exercise the option specified in sub-rule (1), he shall count his service as Member for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment.

8. **Provident Fund :**—(1) The Chairperson or a Member, who on the date of his appointment to the Commission as such was in the service of the Central or a State Government or a Union Territory Administration and who had been admitted to the benefits of General Provident Fund may, at his option, continue to subscribe to that Fund until the date on which he retires according to the rules applicable to him in that service. In case of the Contributory Provident Fund, the employer's contribution payable to that Fund shall, as from the date of the Chairperson or Member's appointment to the Commission, be payable by the Commission during the tenure of appointment as such Chairperson or Member on the basis of emoluments which he would have drawn in the post he held immediately before appointment.

**Explanation :** The Chairperson or a Member exercising his option under this sub-rule shall communicate his option in writing to the Central Government within six months of his appointment and the option so exercised shall be final.

(2) The Chairperson or a Member, including the persons who has exercised an option under sub-rule (1) of rule 7 or sub-rule (1) of rule 8 or under both, shall be entitled to be admitted to the benefits of the Contributory Provident Fund Scheme and for this purpose shall be governed by the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 as amended from time to time :

Provided that the Chairperson or Member shall cease to contribute to any other Provident Fund from the date of admission to the Contributory Provident Fund Scheme under these rules.

9. **Service conditions of Chairperson/Members of special status :**—Without prejudice to any of the provisions in these rules, the Central Government may by order, if it is considered necessary, sanction salaries, allowances and other facilities to the Chairperson or a Member in accordance with any special status that may be conferred on the incumbent.

10. **Journeys on tour :**—(1) A Chairperson, who is or has been, a Judge of a High Court shall be governed by the provisions applicable to a Minister of State of the Union of India, as regards his entitlement for travelling allowance and daily allowance etc.

(2) A Member shall, while on tour, be entitled to travelling allowance and daily allowance at the same scale and at the same rate as are applicable to a Group 'A' officer of equivalent pay-scale in the Central Government.

(3) The Chairperson and Members shall be their own Controlling Officers in respect of bills relating to their travelling allowances and daily allowances.

11. **Accommodation :**—(1) Every person appointed to the Commission as Chairperson or a Member shall subject to approval by the Cabinet Committee on Accommodation, be entitled to the use of an official residence from the Central Government, on the basis of a licence fee at the rates prescribed by the Central Government from time to time.

(2) A Chairperson, who is a retired Judge of a High Court, shall be entitled to the use of an official residence from the Central Government on the same terms and conditions as are applicable to a Minister of State of the Union of India.

(3) Residential accommodation for the Chairperson or a Member, where Central Government accommodation is not available may be hired on lease by the Central Government subject to such ceilings on hire charges as may be specified by the Central Government from time to time.

(4) When the Chairperson or a Member is not provided with or does not avail himself of the accommodation referred in sub-rules (1) and (2), he may be paid every month house rent allowance as may be admissible from time to time to an officer of the equivalent pay scale in the Central Government.

(5) When the Chairperson or a Member occupies an official residence beyond the permissible period, he shall be liable to pay such additional licence fee or other charges as are leviable under the corresponding rules of the Central Government governing allotment of accommodation and in addition, be liable to be evicted in accordance with the rules applicable to the officers drawing equivalent pay in the Central Government.

12. **Facility of Conveyance :**— (1) A Chairperson, who was a Judge of a High Court, shall be entitled to the facility of a staff car on the same terms and conditions as are applicable to a Minister of State of the Union of India.

(2) A Member shall be entitled to the facility of a staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the rules governing the use of staff car facilities applicable to officers of the Central Government drawing equivalent pay in the Central Government.

13. **Facility for Medical Treatment :**—(1) A Chairperson or a Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme Rules, 1954.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Chairperson shall be entitled, at his option, to avail of health service facilities available to a Minister of State of the Union of India and a Member shall be entitled, at his option, to avail of health service facilities available to a Secretary to the Government of India.

14. **Residuary provision :**—The conditions of service of the Chairperson or Members for which no express provision has been made in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of India.

[No. F. 7-16/2005-MC(P)]

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.